प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.08.2026

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान के 01 शातिर चोर/टप्पेबाज गिरफ्तार, कब्जे से 14 ATM कार्ड बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: –

दिनांक 25.08.26 को वादी श्री राजीव कुमार पुत्र चन्द्र साव निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना बींद जिला नालंदा बिहार हाल निवासी झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ ATM मशीन के अन्दर धोखाधड़ी से ATM कार्ड चोरी कर लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंक रोड पर सुसंगत धारा 303(2)/318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त जावेद पुत्र जहूर निवासी शीशे वाली मस्जिद के सामने संगम विहार डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 14 ATM कार्ड बरामद हुए। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं एटीएम मशीन के आसपास सीधे साधे व्यक्तियों से उनका एटीएम बदलकर मैं उनके एटीएम कार्ड से रुपये निकालकर चोरी कर लेता हूँ । एक एटीएम कार्ड जो कोटक महिन्द्रा बैंक का है जिस पर राजीव कुमार लिखा है यह मैंने दिनांक 25.08.2026 को एक व्यक्ति से झण्डापुर गांव से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

जावेद पुत्र जहूर निवासी शीशे वाली मस्जिद के सामने संगम विहार डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

14 ATM कार्ड बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर चोरी का 01 अभियोग, जनपद मुजफ्फरनगर में चोरी के 02 अभियोग तथा कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी के अन्य 02 अभियोग पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग-05)**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 गैस सिलेण्डर बरामद।

कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 26.08.2026 को आवेदक श्री धीरज कुमार पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा इमैन्युअल ग्लोबल स्कूल की रसोई से 02 सिलेण्डर चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड पर सुसंगत धारा 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का अनावरण करते हुए चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1. शशांक पुत्र दीपक निवासी बाल्मीकि मोहल्ला फरुखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. शिवा पुत्र सोनू निवासी बाल्मीकि मोहल्ला फरुखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को राजपुर गावं की तरफ से आने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 02 गैस सिलेण्डर बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि हम नशे के आदी हैं। हमने मौका पाकर ये सिलेण्डर इमैन्युअल ग्लोबल स्कूल की रसोई से चोरी किये थे जिन्हें हम बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शशांक पुत्र दीपक निवासी बाल्मीकि मोहल्ला फरुखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. शिवा पुत्र सोनू निवासी बाल्मीकि मोहल्ला फरुखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी के 02 गैस सिलेण्डर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना टीलामोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त शिवा के विरूद्ध उक्त अभियोग के अतिरिक्त थाना टीलामोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:- थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 27.08.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से 03 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत

धारा- 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 28.08.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त वसीम पुत्र सलीम निवासी सरस्वती विहार रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद हुए, बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 305(a)/317(2) बीएनएस में सम्पादित की जायेगी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पास से जो 03 मोबाइल बरामद हुए हैं, ये मैंने कल ही रुपनगर क्षेत्र से चोरी किये थे। इन चोरी किये गये मोबाइलों को बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

वसीम पुत्र सलीम निवासी सरस्वती विहार रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा 'ऑपरेशन प्रहार' के अंतर्गत मादक पदार्थो की तस्करी करने वाली एक अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 1 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 28.08.2026 को पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना व लोकल इनपुट के आधार पर अवैध गांजे की तस्करी करने वाली अभियुक्ता **दीपान्शी उर्फ सुनीता पत्नी सौरभ** को कब्रिस्तान के पास जलनिगम (विजयनगर) से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 1 किलो 190 ग्राम अवैध (नाजायज) गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्ता के नाम व पता:

दीपान्शी उर्फ सुनीता पत्नी सौरभ निवासी हाल पता- ब्लाँक 92 गौकुलधाम सोसाइटी सिद्धार्थ बिहार थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष मूल पता क्राति स्कूल के पास भीम नगर थाना क्रोसिग रिपब्लिक गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:

1 किलो 190 ग्राम अवैध (नाजायज) गांजा।

पूछताछ का विवरण: पूछताछ पर अभियुक्ता ने बताया, "साहब, मैं गांजा खरीदकर उसे छोटी-छोटी पुड़ियों में पैक करके लोगों को बेचती हूं। आज भी मैं अपना माल बेचने के लिए आयी थी कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्ता से माल कहां से लाती हो पूछा गया तो बताया कि मुझे माल हर बार कोई नया व्यक्ति देता है। जिसे मैं नही जानती हूं।

अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:

अभियुक्ता दीपान्शी उर्फ सुनीता पर: 03 अभियोग एनडीपीएस (NDPS) एक्ट से संबंधित थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद में पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:

- थाना विजयनगर पुलिस टीम।